12/11/18

जिला कलक्टर
धौलपुर

अपीलाण्ट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलाण्ट द्वारा एक अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) के विरूद्ध सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण न्यायालय में पेश की। अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) को भेजते हुऐ अपील में अंकित तथ्यों के सम्बंध में टिप्पणी चाही गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 1.8.18 को टिप्पणी भेजते हुए प्रतिलिपि अपीलाण्ट को उपलब्ध कराई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया कि अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 4.6.18 उपलब्ध करा दी गई है। जिसकी अपीलाण्ट के प्राप्ति के हस्ताक्षर उपलब्ध है।

83/13.11.18

अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की मौखिक बहस सुनी गई अपीलाण्ट ने अपनी मौखिक बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर धौलपुर) पर विभिन्न तरह के आरोप लगाये है। तथा अति0 जिला कलक्टर की

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जो सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है वही सूचना लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध करा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा जिन 5 बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है। उनमे से बिन्दू संख्या 1 लगायत 3 की सूचना उपलब्ध करा दी गई है बिन्दू संख्या 4 व 5 की सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो सूचना उपलब्ध नहीं हैउसकी सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। इस संबंध में **प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दू संख्या 3 में यह स्पष्ट है कि," सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"** अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

अपीलाण्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस को मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलाण्ट द्वारा जिन 5 बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है उनमें से 1 लगायत 3 बिन्दूओं की सूचना दी जा चुकी है व बिन्दू संख्या 4 व 5 की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। **प्रशासनिक सुधार एंव समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दू संख्या 3 में यह स्पष्ट है कि," सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"** अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व मौखिक बहस में यही तथ्य उभरकर सामने आये है कि अपीलाण्ट द्वारा अति० जिला कलक्टर धौलपुर के शिकायत की है तथा आरोप प्रत्यारोपित किये है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वह सही है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम की जावें।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर